

• केन्द्रीय सूचना का अधिकार अधि. 2005 A (3) द्वारा, केन्द्रीय कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन सिविल लाईन, नई दिल्ली से, सिविल, क्रिमिन्ल, मॉयनर विधीबुद्ध सूचिपत्र के लिए प्रायनिपत्र।

सेवा में: मा. केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी तथा समुक्त सचिव,  
केन्द्रीय कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन, सिविल लाईन  
नई दिल्ली - 110054.

03M/16512/14

B.P.L.

R.G.L. Act. Sect. 7(5)

[भारत सरकार:- कामगार एवं उद्योग विभाग]

04M/2000/14

1] सूचनाकर्ता का नाम एवं पता:- Sunil / Lokesh Khurje, Central Jwari, New Pw 440020 M.S.

2] सूचना का समय:- R.G.L. Act. 2005 की धारा 6/7 अनुसार 15 दिनों में हिन्दी भाषी सूचना।

3] सूचना के संदर्भ अनुसार मुख्य विषय:- 1] क्रिमिन्ल, सिविल & मॉयनर विधीबुद्ध का सूचिपत्र हिन्दी भाषा में सिविल लाईन प्रकाशन नई दिल्ली का। 2] P.L. Act. 1995 डांक अर्च सहित मुख्य

सूचना का आवेदन:- केन्द्रीय कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन, सिविल लाईन नई दिल्ली में सरकारी छद्मनाम पर विविध कायदा विधीबुद्ध छपाई जाती हैं। तथा लोयकरी का प्रकाशन भी किया जाता है। आपके सूचिपत्र अनुसार सिविल, क्रिमिन्ल एवं मॉयनर विधीबुद्ध कायदा मिलती छपी हैं। उसने का हम निम्नानुसार सूचिपत्र प्रधान किमिए। यह सूचिपत्र हिन्दी भाषी R.G.L. Act. 2005 की धारा 2 व 4 द्वारा हिन्दी भाषी प्रायनिपत्रनुसार निःशुल्क भेजिए व्योकी. सूचनाकर्ता B.P.L. में है। R.G.L. Act में B.P.L. व्योकीकी सूचना 50 पेज / 500 शब्दोंकी जानकारी (बिना शुन्य देने की) पादा है। इसी प्रकार केन्द्रीय प्रकाशन से P.L. Act. 1995 का डांक अर्च मध्यकिन्ल मुख्य व्यो है. P.L. Act. 1995 की किताब हिन्दी भाषी (हिमाषी) में लेना-चाहिए। यदि सूचना हम R.G.L. Act. 2005 की धारा 2/4 द्वारा हिन्दी भाषी प्रायनिपत्र अनुसार सूचना प्रधान किमिए। आप लोकसेवक संघसे सूचना का मातवी हनन मत किमिए। कृपया, मा. महोदय उपर लिखी दोनों सूचना हिन्दी में प्रधान किमिए। यह धारी नम्र प्रायनिपत्र है - धन्यवाद!

4] सूचना पोस्से में R.G.L. Act. के नियमानुसार सूचना रचीड पोस्से हिन्दी भाषा में निःशुल्क भेजिये

5] सूचनाकर्ता B.P.L. है या ना:- R.G.L. Act. 2005 की धारा 7 (5) अनुसार गारिब है, प्रमाणपत्र साथ सहेगीत है। सूचनासे वांचित मत किमिए।

-: P/Secy - New Pw 440020 M.S.  
: 07/05/2014.

*S. Khurje*  
\* सूचनाकर्ता की स्थायी रूप नाम \*  
[Sunil / Lokesh Khurje]

• भारत के राष्ट्रपति एवं मुख्य सचिव [क्रिमिन्ल, पेबान्सव प्रासिक्शन विभाग] संसद द्वारा विधेयक पारित द.र. इकुमनुसार R.G.L. Act. 2005 A (3) भारतीय संविधान अधि. 1950 की धारा 19(1) अनुसार विधीबुद्ध सूचिपत्र के लिए प्रायनिपत्र।



GOVERNMENT OF INDIA  
DEPARTMENT OF PUBLICATION  
CIVIL LINES, DELHI – 110 054.  
Website: www.deptpub.nic.in  
Email: acop-dep@nic.in (&) pub.dep@nic.in  
TEL.: 2381 7823 / 2381 9689 Fax: 2381 7846.

फाइल नं० : 65 ए / ओ० एण्ड एम०/20008/2014

दिनांक: 11 जून, 2014.

श्री सुनील लटारी खोजे  
सेन्ट्रल जेल  
नागपुर 440020 महाराष्ट्र

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना ।

महोदय,


सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपका दिनांक 07.5.2014 का आवेदन इस विभाग में दिनांक 12.5.2014 को प्राप्त हुआ है । मांगी गई बिन्दुवार सूचना निम्नवत है :-

1. भारतीय दंड संहिता 1860 (द्विभाषी) उपलब्ध नहीं है ।
2. सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (द्विभाषी) 5/1908 बिक्री के लिए उपलब्ध है जिसकी कीमत रु 300/- है ।
3. दण्ड - प्रक्रिया - संहिता 1973 (द्विभाषी) 2/1974 बिक्री के लिए उपलब्ध है जिसकी कीमत रु 640/- है ।
4. भारत का संविधान 1950 (द्विभाषी) PLD 230 बिक्री के लिए उपलब्ध है जिसकी कीमत रु 230/- है ।

सभी उपलब्ध प्रकाशन बिक्री के लिए उपलब्ध है कोई भी प्रकाशन निशुल्क उपलब्ध नहीं है । यदि आपको उपर्युक्त प्रकाशन चाहिए तो आप 1280/- रुपये (1170/- रुपये प्रकाशनों की कीमत + +80/- रुपये डाकखर्च) का भारतीय पोस्ट आर्डर /डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशन नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, सिविल लाईंस, दिल्ली के नाम प्रेषित करें ।

यदि आप उपर्युक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो संयुक्त सचिव एवं प्रकाशन नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, सिविल लाईंस, दिल्ली अपीलीय अधिकारी से अपील कर सकते हैं ।

भवदीय,

  
(दिनेश चन्द्रा)

5/25/14  
य/एम  
11/6/14  
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी